...ायालय सहायक कलक्टर दीगोद, जिला कोटा

(3)

तारीख दायरा
25.08.2022

तारीख फैसला
14.2.23

अधिकारी – हरबिन्दर डी0 सिंह (आर.ए.एस.)
गीता बाई पुत्री गोविन्दलाल उर्फ छीत्या बाई पुत्री गोमदा जाति मीना निवासी ग्राम नीमली तहसील दीगोद (वादी)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की और से :– श्री बलराम शर्मा एडवोकेट
प्रतिवादीगण की और से :–

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट वास्ते राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्ती

–: निर्णय :–

वादनी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि वादनी व उसके भाई बहिनों के शामलाती खाते व कब्जे काश्त व खाते में ग्राम नीमली के खसरा संख्या 353/141 की 1.02 है0 स्थित चली आ रही है। यह कि वादनी व उसके भाई बहिनों के शामालाती खाते व कब्जे काश्त व खाते की खाता संख्या 17 पर खसरा नम्बर 54 की 0.13 है0, 85 की 0.91 है0, 97 की 0.23 है0, 143 की 1.16 है0, 241 की 0.73 है0, 248 की 0.27 है0, 249 की 0.27 है0 कुल किता 7 रकबा 3.70 है0 भूमियां ग्राम नीमली पटवार हल्का खेडली तवरान तहसील दीगोद में स्थित चली आ रही है। यह कि वादनी का नाम गीता बाई है तथा पिता का नाम गोविन्दलाल है। किन्तु उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड मे वादनी का नाम गीता बाई के स्थान छीत्या बाई तथा पिता का नाम गोविन्दलाल के स्थान पर गोमदा दर्ज हो गया है जो गलत है। जबकि वादनी के नाम निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड में भी वादनी का गीता बाई व पिता का नाम गोविन्दलाल अंकित है।

यह कि राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम छीत्या बाई व पिता का नाम गोमदा अंकित होने के कारण वादनी को अपने खाते की भूमि पर त्रण आदि की सुविधा प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड रहा है। यह कि प्रतिवादी के कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड मे वादनी का नाम गीता बाई के स्थान छीत्या व पिता का नाम गोविन्दलाल के गोमदा दर्ज कर दिया है जो गलत है।

सहायक कलेक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

(4)

रोक्त कारण से राजस्व रिकार्ड मे वादनी का नाम छीत्या बाई के स्थान पर ... नाम गोमदा के स्थान पर गोविन्दलाल दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जाना ... संबंध में वादनी ने प्रतिवादी से दिनाक 17.08.2022 को निवेदन करने पर उन्होने कोई ...य और मना कर दिया जिस कारण यह वाद प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः वादनी ने निवेदन किया है कि कि ग्राम नीमली पटवार हल्का खेडली तवरान के खसरा ...353/141 की 1.02 है0 तथा खसरा नम्बर 54 की 0.13 है0, 85 की 0.91 है0, 97 की 0.23 है0, 143 की 1.16 है0, 241 की 0.73 है0 248 की 0.27 है0, 249 की 0.27 है0 कुल किता 7 रकबा 3.70 है0 के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम छीत्या बाई के स्थान पर गीताबाई अथवा गीता बाई उर्फ छीत्या बाई व पिता का नाम गोमदा के स्थान पर गोविन्दलाल अथवा गोविन्दलाल उर्फ गोमदा दर्ज किये जाने और राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने की प्रतिवादी के विरूद्ध आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी विधिवत करवायी गयी। प्रतिवादी तहसीलदार दीगोद की और से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार दीगोद ने अपने जवाब में वादनी का नाम छीत्या बाई पुत्री गोमदा के स्थान पर गीताबाई पुत्री गोविन्दलाल दर्ज किये जाने की अनुशंषा की गयी है।

वादनी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम नीमली पटवार हल्का खेडली तवरान के खसरा नम्बर 353/141 की 1.02 है0 तथा खसरा नम्बर 54 की 0.13 है0, 85 की 0.91 है0, 97 की 0.23 है0, 143 की 1.16 है0, 241 की 0.73 है0 248 की 0.27 है0, 249 की 0.27 है0 कुल किता 7 रकबा 3.70 है0 के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम छीत्या बाई पुत्री गोमदा के स्थान पर छीत्या बाई उर्फ गीता बाई पुत्री गोमदा उर्फ गोविन्दलाल दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नही रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.2.23 को सरे इजलास में सुनाया गया।

FOR COPYING FEES ONLY

(हरबिन्दर डी. सिंह)
सहायक कलेक्टर
दीगोद

FOR COPYING FEES ONLY

FOR COPYING FEES ONLY

डिकी मुकदमा
(आ0 20 रूल 6-7 [illegible] दीवानी)

(5)

[illegible]दालत न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा

उनवान

[illegible]कारी – हरबिन्दर डी0 सिंह (आर.ए.एस.)

[illegible]ता बाई पुत्री गोविन्दलाल उर्फ छीत्या बाई पुत्री गोमदा जाति मीना निवासी ग्राम नीमली तहसील दीगोद

(वादी)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की और से :– श्री बलराम शर्मा एडवोकेट

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की और से :– श्री बलराम शर्मा एडवोकेट
प्रतिवादीगण की और से :–

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट वास्ते राजस्व रिकार्ड मे नाम दुरूस्ती

मिसल नम्बर

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ हरबिन्दर डी.सिंह आर.ए.एस. बहाजिरी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मिनजानिब मुद्दालयह न्यायालय में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम नीमली पटवार हल्का खेडली तवरान के खसरा नम्बर 353/141 की 1.02 है0 तथा खसरा नम्बर 54 की 0.13 है0, 85 की 0.91 है0, 97 की 0.23 है0, 143 की 1.16 है0, 241 की 0.73 है0 248 की 0.27 है0, 249 की 0.27 है0 कुल किता 7 रकबा 3.70 है0 के राजस्व रिकार्ड मे वादनी का नाम छीत्या बाई पुत्री गोमदा के स्थान पर छीत्या बाई उर्फ गीता बाई पुत्री गोमदा उर्फ गोविन्दलाल दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है तदनुसार डिकी जारी की जाती है।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदालयह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनाम	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	[illegible]
मुत0	0	0	मुत0	0	
मिलान	0	0	मिलान	0	

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगें।

(हरबिन्दर डी. सिंह)
सहायक कलेक्टर
दीगोद, जिला कोटा

सहायक कलेक्टर
दीगोद